न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 35 / 2017 GCMS No.–2017/00290

सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर।
...निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकरण पुत्र भैरू राम जाट, ग्राम बसेडी, ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पं.स. झोटवाडा जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, जरिये सरपंच, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) न्यायालय सत्यमेव जयते जयपुर

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय दिनांक 24.04.2012 पंचायत प्रस्ताव संख्या 13 ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, जिसके कम में पट्टा संख्या 13 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया।

उपस्थितः–
1. पैरोकार सरकार निगरानीकार की ओर से।
2. गैर निग0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 28.03.2023

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पं.स. झोटवाडा द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 रामकरण पुत्र भैरूराम जाट, निवासी ग्राम बसेडी, ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर के पक्ष में 298.66 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा संकल्प संख्या 13 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा पट्टा संख्या 13 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.07.2014 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या एक ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी उपस्थित आये। तथा अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त जवाब पत्रांक 93 दिनांक 29.11.2018 अनुसार मूल पट्टा पत्रावली भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो में जब्त होना बताया गया है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता गैर निग. संख्या 1 दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा ने विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 06.09.2012 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्वान्तो की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा निगरानीधीन आदेश पारित कर गैर निगरानीकार संख्या एक के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 13 अपने परिचित एवं नजदीकी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पट्टा जारी किया गया है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

पंचायती राज नियम 148 के अनुसार भूमि का विक्रय का अस्थाई निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। पंचायत राज नियमों के नियम 148 (1) एवं 148(2) के अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व जो आपत्ति नोटिस जारी किये गये उन आपत्ति नोटिसों को प्रस्तावित भूमि पर चस्पा नहीं किया गया तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के हस्ताक्षर नहीं कराये गये जिससे ज्ञात होता है कि पट्टा जारी करने के लिये खानापूर्ति कर मिसल में शामिल किये गये है। पंचायत नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहो का नियमितिकरण के 200/– राशि जमा कर किये गये। निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि की खाली पडत भूमि के जारी किये गये है, जिनकी बाजार दर कीमत वसूल की जानी चाहिए थी, वह पंचायत द्वारा नहीं किया जाकर पंचायत नियमों की अवहेलना की गई है तथा राजकोष को हानि पहुंचाई गई है। पंचायती राज नियम 168(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की एक प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति को भेजी जानी चाहिए जो नहीं भेजी गई। प्रकरण में आबादी भूमि पर पट्टा जारी किये गये व हल्का पटवारी के सीमाज्ञान/खसरा नं. एवं हल्का पटवारी व ग्राम सेवक की टिप्पणीयों का पूर्ण रूप से अभाव पाया गया। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा गैर निगरानीकार सं. एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 आदेश दिनांक 06.09.2012 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए विधिक प्रकिया अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 13 जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार वार्ड पंचगण द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाकर आपत्ति नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा देने से पूर्व निगरानीधीन भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया। एक माह में आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। गैर निगरानीकार को पट्टा आबादी भूमि का जारी किया गया है जिस पर वह 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज है एवं निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का पुश्तैनी मकान है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा के निर्णय/आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 13 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। निगरानी खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली अप्राप्त है ऐसी स्थिति में हम निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत

श्योसिंहपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 298.66 वर्गगज भूखण्ड का संकल्प संख्या 13 दिनांक 24.04.2012 की अनुपालना में आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा पट्टा संख्या 13 जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान 'पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है एवं निगरानीधीन पट्टा जारी कर पंचायत राज कोष को हानि पहुंचाई है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा है एवं गैर निगरानीकार का मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार नजरी नक्शा तैयार करवाकर मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंच गण की कमेटी बनायी गयी। पंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 को निगरानीधीन भूमि का पट्टा जारी किया गया है। पंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट में 50 वर्ष से गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा/ निर्माण माना गया है लेकिन इस संबंध में पत्रावली पर मौका रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई साक्ष्य/दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा जारी संकल्प सं. 13 दिनांक 24.04.2012 से निर्णय लेते हुये गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, श्योसिंहपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि प्रकरण में गैर निगरानीकार को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, यह सुनिश्चित किया जावे कि यदि गैर निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टे में दर्शित भूखण्ड की भूमि पर गैर निगरानीकार काबिज है, तो उसे मद्दे नजर रखते हुये, राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अन्यथा भूमि निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के तहत विधिसम्मत निर्णय लेवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर